

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती सुनिता यादव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 193 /21

उनवान

1.रामस्वरूप पिता मगना गुर्जर निवासी सारांश

- प्रार्थी

बनाम

- 1.सोहन पुत्र सुजान सिंह राजपुत निवासी सारांश
- 2.विक्रमसिंह पुत्र सुजानसिंह राजपुत निवासी सारांश
- 3.फूला मुतबन्ना उगमा गुर्जर निवासी सारांश
- 4.बिन्दूसिंह पुत्र कानसिंह राजपुत निवासी सारांश
- 5.नाराणसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपुत निवासी सारांश
- 6.सत्यभंवर सिंह पुत्र ऊकारसिंह राजपुत निवासी सारांश
- 7.देवकिशन पुत्र छोगा गुर्जर निवासी सारांश
- 8.नौरत पुत्र सुखा दरोगा निवासी सारांश
- 9.भंवरसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपुत निवासी सारांश

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 21/06/2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1222 /249 रकबा 0.22 है 0 250 रकबा 0.30 है 0 867 रकबा 0.25 है 0 कुल किता 3 रकबा 0.77 हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3, 5, 7 व 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० 2, 4, 6 व 9 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही झोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम सारांश संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगणों के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सारांश में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त की आराजीयात् किता 3 रकबा 0.77 हैक्टेयर की पुरख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 500 रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा